तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहक... हुक्म ... में ...
03/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उपस्थित। बहस प्रा०पत्र u/s 212 RT Act के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। धारा-212 RT Act के प्रा०पत्र को adjudicate करने के लिए इसे निम्न 03 बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है-	

(अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- आवे० प्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि ग्राम सामंदिया की वाकयात अराजी खाता सं० 148 किता 17 रकबा 13.8352 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता तंवरसिंह वल्द भंवरसिंह की खातेदारी अराजी है जिसे तंवरसिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपनी दोनों पत्नियों - मोरबाई व सायर कुंवर - को 1/2-1/2 भाग बांट कर कब्जा सौंप दिया था और तभी से दोनों पत्नियों के वारिसान अपने-2 1/2-1/2 हिस्सों पर काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन द्वितीय पत्नि के वारिसान अप्रार्थीगण ने राजस्व कार्मिकों के साथ मिलकर गलत तरीके से पिता तंवरसिंह का फौती नामा० 698 दर्ज करा कर सभी 06 वारिसानों का 1/6-1/6 हिस्सा दर्ज करा लिया था जबकि तंवरसिंह की तीनों पुत्रियां तो 30-40 वर्षों से शादीशुदा होकर अपने-अपने ससुरालों में रहती है। आगे तर्क किया कि जब यह फौती नामा० सं० 698 ग्राम पंचायत [illegible] के समक्ष पेश हुआ था [illegible] प्रार्थी ने [illegible] पेश की थी ग्राम पंचायत [illegible] कर दिया था लेकिन कुछ समय बाद तहसीलदार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2001 में उक्त फौती नामान्तरण को निरस्त

खण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

6

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

के जा ता तो

कर दिया था जबकि नामान्तरण पंजिका अधिकारी की seal है और ना ही Signature है। अतः यह नामा० क्र० 698 कूटरचित साबित होने से खारिज योग्य है। इसी अवैध नामान्तरण से खातेदार की तीनो पुत्रियो ने अपने-अपने हिस्से का 2021 में हकत्याग अप्रार्थी 1 व 2 के पक्ष कर प्रार्थी के अधिकारो का हनन किया है। अतः वादग्रस्त आराजी पर दोनो पत्नियो के वारिसान प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण का 1/2-1/2 पर हक व कब्जा होने से हिस्सा 1/2 तक प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है।

अप्रा० अप्रार्थीगण ने उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुऐ कथन किया है कि ग्राम सांगरिया की वादग्रस्त आराजी खाता क्र० 148 रकबा 55-04 बीघा भूमि पिता तंवरसिंह के खाते दर्ज थी। तंवरसिंह के दोनो पत्नियो से कुल 6 वारिसान (प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 5) है अतः तंवरसिंह के फौत होने पर राजस्व कार्मिकों द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा -8 के अनुसार सभी वारिसान के नाम 1/6-1/6 नामान्तरण क्र० 698 दिनांक 11/12/2001 को निर्णित किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधि० में दोनो पत्नियो के वारिसानो को फौती इंतकाल से 1/2-1/2 नाम दर्ज करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अप्रार्थीगण दिनांक 11/12/200[illegible] 24 वर्षो से हिस्से [illegible] tenants दर्ज [illegible] किसी भी सक्षम न्यायालय मे उक्त नामा० क्र० (TDR द्वारा निर्णित) 698 की Appeal नहीं की है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी स्वयं द्वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म ...
	नामान्तरण से सम्बन्ध है। अप्रार्थी 3 से 5 ने बारिए रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 17/08/2021 से अपने हिस्से का अप्रार्थी नं 2 के पक्ष में हकत्याग कर दिया है। आगे कथन किया कि Recorded Khatedar tenant के विरुद्ध कोई stay order जारी नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।	
	बहस उभय पक्ष के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष इस तथ्य (fact) पर सहमत है कि ग्राम सांगारिया की वाके भूमि आराजी खाता नं० 148 किता 7 रकबा 13.8352 hect यानी 55-04 बीघा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 5 के पिताश्री तवरसिंह के खाते दर्ज थी। तवरसिंह के फौत होने के बाद फौती नामा० नं० 698 दिनांक 15/8/2001 को हलका पटवारी द्वारा खोल कर ग्राम पंचायत की कोरम के समक्ष पेश किया गया था जिसे ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20/11/2001 को प्रार्थी धीसूसिंह उर्फ डूंगरसिंह द्वारा आक्षेप करने पर Next कोरम (बैठक) तक स्थगित किया गया था अर्थात ग्राम पंचायत कोरम द्वारा नामा० 698 के निर्णय को post pone कर दिया गया था जिसे करीब 01 माह बाद [illegible] के संग [illegible] अभियान - 2001 में पेश [illegible] गया और दिनांक 11/12/2001 को निर्णीत कर दिया गया। नामा० धीसूसिंह तवरसिंह के हक में वारिसान के नाम तस्दीक किया गया और तब से आज तक उक्त नामा० नं० 698 दिनांक 11/12/2001 को प्रार्थी द्वारा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	न्यायालय DM or ADM Jhalawar के समक्ष पुनरीक्षण (Appeal) नहीं की गई। यहाँ यह निर्विवादित तथ्य है कि नवलसिंह के तीन पुत्र (प्रार्थी, अप्रार्थी 1 व 2) तथा तीन पुत्री - अप्रार्थी 3 से 5 है अतः हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार सभी 6 पुत्र-पुत्री first class के legal heirs होने से मृतक नवलसिंह की संपत्ति इन्हीं में devolve होनी थी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में किसी मृतक पुरुष की संपत्ति उसकी पत्नियों (only) में समान devolve होने और पुत्र-पुत्रियों में devolve नहीं होने का कोई प्रावधान नहीं है। हस्तगत प्रकरण में मृतक नवलसिंह की संपत्ति प्रथम पत्नि मोरबाई के बच्चों में 1/2 एवं द्वितीय पत्नि लायककुंवर के बच्चों में 1/2 devolve होने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण वर्षों से राजस्व रिकार्ड में 1/6 - 1/6 भाग के Recorded Khatedar co-tenants है और रिकार्ड खातेदारी के विरुद्ध सामान्यतः स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। पेश रजि० हकत्याग पत्र दिनांक 17/8/2021 के अनुसार अप्रार्थी 3 से 5 ने अपने 3/6 हिस्से का अप्रार्थी 1 व 2 के पक्ष में हकत्याग भी कर दिया है। नामान्तरण (स० [illegible] 11/11/2021) की कानूनी वैधता (legality) [illegible] स्थगन प्रा० पत्र में तय नहीं [illegible] न्यायालय द्वारा मूलदावे या अपील में की जावेगी। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	(ब) सुविधा का सन्तुलन :- यह तथ्य स्वीकृत है कि प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 5 किता 24 बीघा में हिस्से 1/6 - 1/6 के recorded Khatedar Co-tenant है और म्यूटेशन नामा० 698 दिनांक 11/12/2001 जो कि The Hindu Succession Act की धारा 8 के अनुसार तस्दीक हुआ था — को किसी पक्षकार द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती (Appeal) नहीं दी है।
	आर्थि० प्रार्थी का कथन है कि उसके पिता के जीवन काल में उनकी वादग्रस्त भूमि के बटवारे हेतु प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य oral family settlement हो गया था और दोनों पक्ष 1/2 - 1/2 भाग पर काबिज काश्त चले आ रहे है जबकि आर्थि० अप्रार्थीगण का कथन है कि पिता तवरसिंह के जीवनकाल में उसकी संपत्ति के पुत्र - पुत्रियों के मध्य बटवारे का ना तो कोई legal provisions है और ना ही ऐसा कोई oral or written family settlement हुआ था।
	माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि पिता के जीवनकाल में उसकी कृषि आराजी का पुत्र/पुत्रियों के मध्य खाता विभाजन (बटवारा) नहीं किया जा सकता है। The Hindu Succession Act 1956 व Amendment Act 2005 में कोई legal provision नहीं है कि [illegible] यह की कृषि संपति दोनों पत्नियों के वारिसानों में 1/2 (प्रथम पत्नि के वारिसान) व 1/2 (द्वितीय पत्नि के वारिसान) में inherit होती हो बल्कि धारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स
	8 के अनुसार यानि "class-I" में समान रूप से distribut और यदि class-I का legal तो फिर class-II के lega or distribute होगी। प्रार्थी सभी class-I के legal hei वारिसानों (प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से से inherit होगी।
	प्रार्थी द्वारा पेश AW3 के कथनों अनुसार "वादग्रस्त तवरसिंह ने अपने जीवनकाल में 1/2 - 1/2 में बटवारा कर दी कि इनके पुत्र भी 1/2 रहेंगे" जबकि अप्रार्थीगण द्वारा NAW1 से NAW4 के के 1/6 भाग पर प्रार्थी 5/6 भाग पर अप्रार्थी 1 व अप्रार्थी 3 से 5 ने अपने हिस्से को पक्ष में हकत्याग कर है। तवरसिंह ने प्रार्थी को प्रार्थी के नाम अपनी पै सं 186 का 12-11 बीघा थी"। धारा - 212 RT Act (शपथ पत्रों) को witness नहीं किये जाने से [होने] गवाहों के कथनों and Reliability तय नह
	प्रार्थी सुविधा का सन्तु

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	8 के अनुसार पहले "class-I" के legal heirs में समान रूप से distribute (devolve) होगी यदि कोई class-I का legal heir नहीं है तो फिर class-II के legal heirs में devolve or distribute होगी। प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 5 सभी class-I के legal heirs है। अतः सभी वारिसानो (प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 5) में समान रूप से inherit होगी।	
	प्रार्थी द्वारा पेश शपथ पत्रों AW1 से AW3 के कथनों अनुसार "वादग्रस्त आराजी का तंवरसिंह ने अपने जीवनकाल में दोनो पत्नियों में 1/2-1/2 में बंटवारा कर मौखिक वसीयत की कि इनके पुत्र भी 1/2-1/2 पर काबिज रहेंगे" जबकि अप्रार्थीगण द्वारा पेश शपथ पत्रों NAW1 से NAW4 के अनुसार "वादग्रस्त भूमि के 1/6 भाग पर प्रार्थी काबिज है शेष 5/6 भाग पर अप्रार्थी 1 व 2 काबिजकाश्त है, अप्रार्थी 3 से 5 ने अपने हिस्से का अप्रार्थी 1 व 2 के पक्ष में हकत्याग कर कब्जा सौंप दिया है। तंवरसिंह ने प्रार्थी की नाबालिग अवस्था में प्रार्थी के नाम अपनी पैतृक आय से खाता सं. 186 की 12-11 बीघा भूमि खरीद करदी थी"। धारा-212 RT Act के प्रावधान में गवाहों (शपथ पत्रों) को witness box में [illegible] नहीं किये जाने [illegible] cross-examination नहीं होने से गवाहों के [illegible] authenticity and Reliability तय नहीं होती है। अतः प्रार्थी सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में	(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	साबित करने में विफल रहा है। (स) अपूरणीय क्षति :- उपरोक्त विवेचन से प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण वर्तमान में हिस्से 1/6-1/6 के recorded Khatedar Co-tenants है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के हिस्से 1/2 पर कब्जा काश्त होना साबित नहीं कर पाया है। केवल oral family settlement होने का कथन करने मात्र से oral settlement साबित नहीं होता है। यह सही है कि family के disputes को settle करने एवं family को protect करने के लिए सदस्यों के मध्य written or oral दोनों प्रकार से family settlement हो सकता है और इसके प्रभावी होने के बाद registration की भी आवश्यकता नहीं है लेकिन सभी सदस्यों द्वारा ऐसे oral family settlement को अपने व्यवहार व कार्य से स्वीकार करना/किया जाना साबित करना होगा। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा स्थगन जारी नहीं किए जाने से कोई अपूरणीय [illegible] मानसिक क्षति, अर्थ, भूमि [illegible] नहीं हो [illegible] कारित [illegible] नहीं किया है बल्कि Recorded Khatedar tenants के विरुद्ध स्थगन जारी कर उन्हें उनके कानूनी अधिकारों से वंचित (deprived) करना उन्हें	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
अपूरणीय क्षति कारित कर सकता है। अतः प्रकरण में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना साबित नहीं है। 2. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तीनों आवश्यक बिन्दु साबित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 212 RT Act r.w. O. 39 R 1&2 CPC खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम आदेश (interim order) भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ 03/11/25 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner